मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 23, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-6 (क्रमांक 358) पर अधिक प्रश्न न पूछने देने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 59 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री अन्तर सिंह दरबार, श्री आरिफ अकील तथा श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य उनके द्वारा दिये गये स्थगन एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले में एकीकृत आदिवासी परियोजना पिपराही अंतर्गत आने वाले ग्रामों में विद्युतीकरण न होने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों के हैण्डपंप खराब होने, तथा

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले में कृषि एवं राजस्व विभाग द्वारा फसल बीमा मुआवजा प्रकरण न बनाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. ढालसिंह बिसेन, परिवहन मंत्री ने रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा-35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, तथा

(2) श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने

(क) मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 की धारा-10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-7-2003-सात-2ए, दिनांक 24 फरवरी, 2004; तथा

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8-2003-सात-शा. 6, दिनांक 5 मार्च, 2004,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने प्रदेश के शिक्षा कर्मियों, संविदा शिक्षकों एवं गुरुजी को कई माह के वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अलका जैन, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य ने पंधाना क्षेत्र के कावेरी नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

5. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री धुलजी चौधरी, राज्यमंत्री कृषि, ने प्रस्ताव किया कि -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

प्रस्ताव स्कवीकृत हुआ।

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिए जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन पत्रों की जांच, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2004 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतुअभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

6. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की अनुपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री राजनारायण सिंह

(4) श्री लालसिंह आर्य

(5) डॉ. सुनीलम

(6) श्री बृजेन्द्र तिवारी (भाषण अपूर्ण)

(1.02 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(7) श्री बाबूलाल महाजन

(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री उमाशंकर गुप्ता

(10) श्री कृष्ण कुमार सिंह

(11) श्री प्रदीप जायसवाल

(12) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(13) श्री नानालाल पाटीदार

(14) श्री दुर्गालाल विजय

(15) श्री सुखदेव पांसे

(16) श्री दीवान सिंह पटेल

(17) श्री घनश्याम सिंह

(18) श्री अंतर सिंह आर्य (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 24, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.